वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
Annual Report

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(for the State of Goa and Union Territories)

सत्यमेव जयते
एस. के. चतुर्वेदी अध्यक्ष
RESPONDENT
S. K. CHATURVEDI
INT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For State of Goa & Union Territories)
PUBLIC HEARING
On
val of Business Plan and ARR Determination
T Control Period FY 2015-16 to FY 2017-18
FY 2013-14 and Review to FY 2014-15)
FY 2015-16 for the UT of Daman & Diu.
On
01.2015
At
d Hall, Govt. College, Nani Daman
09 01 2015

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2014–15

के लिए

7वीं वार्षिक रिपोर्ट

(विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अंतर्गत)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

गोवा राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

'वाणिज्य निकुंज' द्वितीय तल, एचएसआइआईडीसी कार्यालय परिसर,

उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव, 122016 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

ई–मेल: secy-jerc@nic.in

विषय-वस्तु

क्रम सं0	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग का संक्षिप्त परिचय	
	1.1 प्रस्तावना	3
	1.2 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल	4–5
	1.3 आयोग का कार्यालय	5
	1.4 संगठनात्मक संरचना	5
2.	आयोग का अधिदेश	6–7
3.	मिशन विवरण	8
4.	समीक्षाधीन वर्ष	9–18
5.	आय और व्यय को दर्शाता आयोग का वार्षिक लेखा	19–26
6.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के विवरण	26
7.	आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना	27

1. आयोग का संक्षिप्त परिचय

1.1 प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से ज्ञात एक दो–सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था, जैसाकि दिनांक 02 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 23/52/2003–आरएंडआर में निहित किया गया था। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने के उपरांत आयोग "गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" के नाम से जाना जाने लगा, जैसा कि 30 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 23/52/2003–आरएंडआर (खण्ड–II) द्वारा अधिसूचित किया गया था। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त, 2008 से कार्य करना आरंभ किया। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव नगर में एक किराए के भवन में अवस्थित है।

वर्ष के दौरान, आयोग ने गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक उचित, पारदर्शी और उद्देश्यपरक विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया है। वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट, जो आयोग की 7$^{वीं}$ रिपोर्ट है, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग के क्रियाकलापों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

किसी जांच अथवा कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग की वही शक्तियां हैं, जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय को निहित है।

आयोग के समक्ष चलने वाली सभी कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना जाता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा लाइसेंस जारीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय करने अथवा इनकी मध्यस्थता करने और इनका निपटान करने के लिए माध्यस्थ मनोनित करने की संपूर्ण अधिकारिता है।

श्री एस के चतुर्वेदी
अध्यक्ष
अध्यक्ष (12.02.2014–आज तक)

1.2 आयोग के सदस्यों की प्रोफाइल

श्री एस0 के0 चतुर्वेदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जियोलॉजी में एम0एससी0 (विशेष) की उपाधि प्राप्त की तथा आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने एएससीआई, हैदराबाद में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम में भी भाग लिया।

35 वर्ष के अपने कैरियर में भी श्री चतुर्वेदी ने अनेक अग्रणी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा की जैसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा एनएचपीसी। उन्हें ताप और जल, दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन तथा विद्युत संप्रेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव रखने का विशिष्ट श्रेय प्राप्त है।

अगस्त, 2008 में, उन्हें केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम 'पावर ग्रिड' का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया तथा उन्होंने ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा पारेषण प्रणाली के विकास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की चुनौती स्वीकार की। उनके नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान पावर ग्रिड ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की जैसे बजट उपयोगिता लक्ष्यों तथा समग्र समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में वृद्धि करना, पावर ग्रिड में शेयरों को सफलतापूर्वक पेश करना, फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ), राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को समय पर प्रारंभ करना, जैसे राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) परियोजना और अफगानिस्तान में प्रतिष्ठित परामर्शी एसाइनमेंट्स आदि।

श्री चतुर्वेदी ने जेईआरसी में मई 2012 से पहले सदस्य के रूप में तथा बाद में फरवरी, 2014 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें उल्लेखनीय हैं – विश्व डब्ल्यूएचओ कांग्रेस द्वारा "श्रेष्ठ सीईओ पुरस्कार 2009" नेशनल एचआरडी नेटवर्क के दिल्ली चैप्टर द्वारा 'चेंज मास्टर्स' पुरस्कार, श्रेष्ठ मानव संसाधन प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय एचआरडी नेटवर्क पुरस्कार, भारतीय जन संपर्क सोसाइटी द्वारा पीआर उत्कृष्टता पुरस्कार तथा प्रबंधन के क्षेत्र में वृत्तिक योगदान के लिए एआईएमए की फेलोशिप।

श्री चतुर्वेदी ने "विश्व के अत्यंत वृहद् ऊर्जा ग्रिड आपरेटर्स' के अध्यक्ष तथा 'सीबीआईसी" के उपाध्यक्ष के पदों पर भी कार्य किया। वर्तमान में वे "आईआईपीई" के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं।

1.3 सदस्य

सदस्य का पद 12.02.2014 से रिक्त है।

1.4 आयोग का कार्यालय

1992 बैच की आईएएंडएएस अधिकारी सुश्री कीर्ति तिवारी ने 12.06.2014 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में सचिव का पदभार ग्रहण किया।

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग से श्री डी आर परमार, संयुक्त निदेशक (तकनीक) ने 30.10.2014 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में निदेशक (अभियांत्रिकी) का पदभार ग्रहण किया।

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से आए श्री अनीश गर्ग, प्रबंधक (तकनीक) ने 17.07.12 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में निदेशक (वित्त एवं विधि) का पदभार ग्रहण किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आए श्री प्रमोद सिंह, वेतन व लेखा अधिकारी ने 01.08.2012 को प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक सह–लेखा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से आए श्री रमेश कुमार, निजी सचिव ने 06.11.2012 को प्रतिनियुक्ति पर प्रधान निजी सचिव का पदभार ग्रहण किया।

1.5 संगठनात्मक संरचना

विद्युत अधिनियम की धारा 91 के निबंधनों के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए तथा तदनुसार भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई। संगठनात्मक संरचना (सचिवालयी समर्थन के बिना) नीचे दी गई है

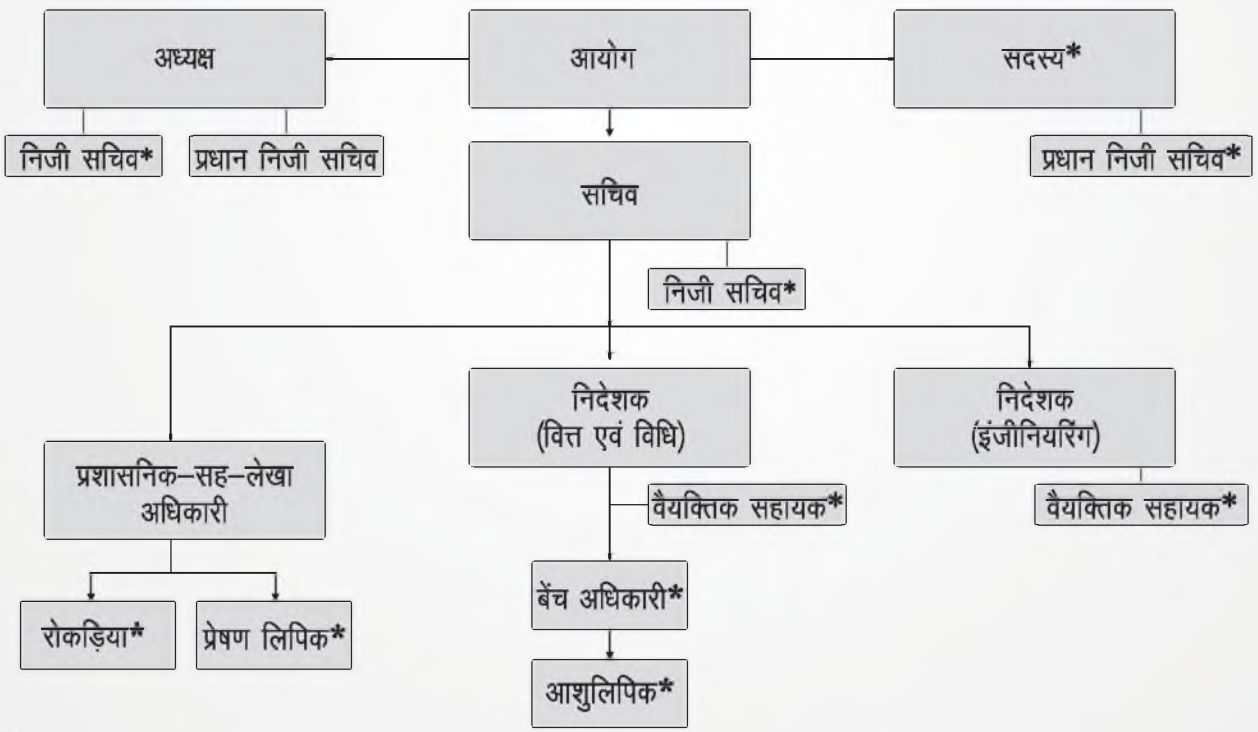

*रिक्त

2. आयोग का अधिदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से संबंधित विधियों को सुदृढ़ बनाना तथा सामान्यतः विद्युत आयोग के विकास, उसमें विद्यमान प्रतिस्पर्धा के संवर्धन उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करते हुए विद्युत टैरिफों को युक्तिसंगत बनाकर सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुकूल उपाय करना है।

2.1 आयोग को निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है:–

(क) यथास्थिति थोक, अधितायत अथवा खुदरा में विद्युत उत्पाद, आपूर्ति, पारेषण और चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ख) वितरण लाइसेंसधारकों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर राज्य के भीतर विद्युत के वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादक कंपनियों अथवा लाइसेंसधारकों अथवा विद्युत की खरीद के लिए करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बिजली अधिप्राप्त की जाएगी;

(ग) विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण और चक्रण को सहायता प्रदान करना;

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर, उनके प्रचालनों के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारकों, वितरण लाइसेंसधारकों और विद्युत व्यावसायियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

(ड.) ग्रिड के साथ संयोजनता तथा किसी व्यक्ति को बिजली के विक्रय के लिए उपयुक्त उपायों का प्रावधान करके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही, ऐसे स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत विहित करना;

(च) लाइसेंसधारकों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय करना तथा किसी अन्य विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करना;

(छ) इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिश्ट प्रयोजनों के लिए शुल्क का उद्ग्रहण करना;

(ज) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) से सुसंगत राज्य ग्रिड संहिता विनिर्दिष्ट करना;

(झ) लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, अनवरतता और विश्वसनीयता के संबंध में सन्नियमों को निर्दिष्ट अथवा प्रवर्तित करना;

(ञ) यदि आवश्यक समझा जाए, तो विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यवसाय में व्यवसाय संभावना को नियत करना;

(ट) विद्युत क्रय करारों का अनुमोदन; और

(ठ) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन, जो अधिनियम के अंतर्गत इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

2.2 आयोग निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किसी एक मामले पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परामर्श देगा:

(क) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्यतता को प्रोत्साहित करना;

(ख) विद्युत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना; और

(घ) विद्युत उत्पाद, संप्रेषण, वितरण और व्यवसाय से संबंधित मामले तथा सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य मामला;

2.3 आयोग को अपने कार्यों का निर्वहन और अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

2.4 अपने कार्यों के निर्वहन में, संयुक्त आयोग का मार्गदर्शन विद्युत अधिनियम, 2003 राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति द्वारा किया जाएगा।

जेईआरसी मुख्यालय, गुड़गांव में न्यायालय के कक्ष में सुनवाई

3. मिशन विवरण

संयुक्त विद्युत आयोग गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक कार्यकुशल और आर्थिक दृष्टि से सक्ष्म विद्युत प्रणाली का सृजन करने के लिए अपने अधिदेश को पूरा करने के प्रति समर्पित है, जिसके लिए यह किफायती दरों पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राथमिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए सभी हितधारकों के हितों की संरक्षा के लिए संतुलन स्थापित करता है तथा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों और उत्पादक कंपनियों के हितों की संरक्षा के लिए तथा साथ–ही–साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इसके कार्यों के निर्वहन में इसका मार्गदर्शन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्यायसंगतता और सहभागिता के सिद्धांतों द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग का लक्ष्य निम्नलिखित पर रहेगा:–

(क) गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और किफायत को बढ़ावा देना;

(ख) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर विद्युत की बिक्री, वितरण और आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विनियमित करना;

(ग) नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली के सह उत्पादन और प्रयोग को प्रोत्साहित करना;

(घ) शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के साथ उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना;

(ड.) ओपन–एक्सेस प्रणाली लागू करना तथा क्रॉस–सब्सिडी में कमी लाना;

(च) हितधारकों के लिए सरलता से सूचना प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार करना।

चंडीगढ़ मे सार्वजनिक सुनवाई के समय का एक दृष्य

4. समीक्षाधीन वर्ष

4.1 विनियमों को जारी करना

वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए गए हैं:–

- विनियम संख्या 17: संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मांग की ओर का प्रबंधन) विनियम, 2014
- विनियम संख्या 18: संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण प्रशुल्क) विनियम, 2014

4.2 विनियमों में संशोधन

निम्न विनियमों मे वर्ष 2014–15 के दौरान संशोधन किया जा चुका है:.

1. विनियम संख्या 1. (व्यापार संचालन) तीसरा संशोधन विनियम, 2014.
2. विनियम संख्या 1. (व्यापार संचालन) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2015.
3. विनियम संख्या. 3. (लोकपाल की नियुक्ति व कार्य) दूसरा संशोधन विनियम, 2015.
4. विनियम संख्या. 7. (राज्य सलाहकार समिति) प्रथम संशोधन विनियम, 2015.
5. विनियम संख्या 4 (उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए फोरम की स्थापना) दूसरा संशोधन विनियम, 2015.
6. विनियम संख्या. 8 (सलाहकारों की नियुक्ति) प्रथम संशोधन विनियम, 2015
7. विनियम संख्या 14 (नवीकरण ऊर्जा की खरीद) प्रथम संशोधन विनियम, 2014

4.3 आयोग की वेबसाइट

जेईआरसी की अपनी वेबसाइट www.jercuts.gov.in है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है ताकि चालित किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में इसके उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को पारदर्शिता, आसान पहुंच तथा व्यापक प्रचार–प्रसार उपलब्ध कराया जा सके।

पारदर्शिता तथा हितधारकों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सभी याचिकाओं, आदेशों, टैरिफ आदेशों, विनियमों और अन्य प्रासंगिक नोटिसों को वेबसाइट पर रखा गया है।

4.4 उपभोक्तों के हितों का संरक्षण

4.4.1 शिकायतों का निस्तारण

विद्युत अधिनियम, 2003 की उद्देश्यिका उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का विशेष उल्लेख करती हैं। अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (5) के अंतर्गत प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक द्वारा संयुक्त आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) लोकपाल के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना भी उपबंध करती है, जिसकी नियुक्ति अथवा नाम निर्देशन संयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप–धारा (5) के अंतर्गत अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है,

वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए लोकपाल को अभ्यावेदन कर सकता है।

गोवा और संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने "जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकरण) विनियम, 2009" नामक विनियम अधिसूचित किए हैं। ये विनियम गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू हैं। ये विनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रियाओं और दिशा–निर्देशों का उपबंध करते हैं।

ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4.4.2 सीजीआरएफ की स्थापना

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में वितरण लाइसेंसधारियों /विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), कार्यरत है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	सीजीआरएफ	सदस्य का नाम	पद	कार्यालय का पता	संपर्क का पता	ई–मेल
1.	गोवा	1. श्री. वी. के. झा 2. श्री. नेलसन आइप पी. 3. श्रीमती सांड्रा वेज कोरय्या	अध्यक्ष सदस्य मनोनीत सदस्य	बिजली विभाग, चौथा तल, विद्युत भवन, वास्को–गोवा	9881102937 / 0832–2501836 7588459505 09422063637	Vkjha57@yahoo.com Nelson1950@rediffmail. com Adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री यामीन भो. मुरतजा 2. रिक्त 3. श्री. बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य मनोनीत सदस्य	सीजीआरएफ का कार्यालय, हॉर्टीकल्चर रोड, हैड्डो, पोर्ट ब्लेयर	09434289754 03192– 244822 (कार्यालय) 09679507141	Cgrf.and.nic.in basudamails@gmail.com
3	चंडीगढ़	1. श्री. आर. के. अरोड़ा 2. श्री राम लक्षमण मित्तल 3. श्री जी. डी. सैनी	अध्यक्ष मनोनीत सदस्य सदस्य	कमरा नं. 531 और 530, 5वां तल, संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, डीलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9डी, चंडीगढ़	09357156161 (0172–2745531) 08872441999	chairpersoncgrf@gmaii.com
4	दमन और दीव	1. श्री. ए. पी. वाघमारे 2. श्री. टी. डी. दावड़ा 3. श्री. रमाकांत मिश्रा	अध्यक्ष सदस्य मनोनीत सदस्य	बिजली विभाग, पावर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन – 396210	09833849653 09978228900	anii.india28@gmaii.com tarundavda@rediffmaii.com Ramakant5@yahoo.co.in
5	दादरा और नगर हवेली	1. श्री. बी. एन. मेहता 2. श्री चंद्रकांत एम. पारेख 3. रिक्त	अध्यक्ष मनोनीत सदस्य सदस्य	बिजली विभाग, दादरा और नगर हवेली, 66 केवी सबस्टेशन, अमली रोड, सिलवासा – 396230	09825400184 09824110521	Chairperson-cgrf@rediffmaii.com
6	लक्षद्वीप	1. श्री. एम. एन. चंद्रन 2. श्री. पी. अमीर 3. रिक्त	अध्यक्ष मनोनीत सदस्य सदस्य	कार्यपालक अभियंता (विद्युत), बिजली प्रभाग कार्यालय, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कावारत्ती – 682 555	09446141777 09447602786	Lk-kteiect@nic.in
7	पुडुचेरी	1. श्री. के. रामसुब्रमण्यन 2. श्री. डी. गुणसेकरन 3. श्री. जी. वेंकटेशन	अध्यक्ष सदस्य मनोनीत सदस्य	सं. 4, थर्ड क्रॉस स्ट्रीट, सत्या नगर, न्यू सरम, पुडुचेरी – 605013		cgrfpon@gmail.com

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास उसके वितरण लाइसेंसधारक/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विद्युत सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों/परिवाद पर कार्रवाई करने की अधिकारिता है।

सीजीआरएफ उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा परिवाद पर कार्रवाई कर सकते हैं, सिवाए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत धारा 126 और 127 (विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग) धारा 135 से 139 (विद्युत की चोरी तथा उसके लिए अपराध और शास्तियां) और धारा 161 (दुर्घटना आदि के नोटिस) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर।

सीजीआरएफ ऐसी शिकायतों अथवा परिवाद को स्वीकार नहीं करता हैं, यदि वे उस समान विषय–वस्तु से संबंधित हैं, जिनके लिए किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण (वितरण लाइसेंसधारक के नियंत्रणाधीन को छोड़कर) अथवा फोरम के समक्ष कोई कार्रवाई लंबित हैं अथवा कोई डिक्री, पंचाट अथवा अंतिम आदेश पहले ही पारित किया गया है।

सीजीआरएफ, ऐसी बकाया राशियों की वसूली के संबंध में किसी शिकायत पर भी विचार नहीं करता हैं, जहां बिल की राशि विवादित नहीं होती है।

सीजीआरएफ किसी भी अवस्था में शिकायत/परिवाद को अस्वीकृत कर सकते हैं, यदि यह प्रतीत होता हैं कि वह तुच्छ, कष्टकर, असद्भावपूर्ण हैं अथवा बिना किसी पर्याप्त कारण के हैं अथवा उससे उपभोक्ता को प्रथम दृष्टतया कोई हानि अथवा क्षति अथवा असुविधा नहीं होती है। तथापि, सीजीआरएफ इस कारण से उपभोक्ताओं की शिकायतों को अस्वीकार करने से पूर्व उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों को दायर करने के लिए आदर्श प्रक्रियाएं सभी सीजीआरएफ को उपलब्ध कराई गई हैं तथा ये जेईआरसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को परामर्श दिया गया है कि यथानिर्धारित पद्धतियों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता का सृजन करें तथा विभिन्न बिल संग्रहण केन्द्रों तथा लाइसेंसधारकों के उप–प्रभागीय/प्रभागीय कार्यालयों में उन्हें सूचना–पट्टों में प्रदिर्शत करने तथा साथ ही उन्हें उनकी वेबसाइटों पर रखने के माध्यम से उनका पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें। यह सलाह भी दी गई है कि आदर्श प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ और लाइसेंसधारकों के कार्यालयों में भी सुलभ रखी जाएं ताकि बिजली के उपभोक्ता यदि अपनी जानकारी अथवा सूचना के लिए उन्हें प्राप्त करना चाहें, तो वे उसकी प्रतियां बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें।

4.4.3 वर्ष के दौरान सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों का निपटान :–

सीजीआरएफ का क्षेत्राधिकार / सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों का निपटान	गोवा	चंडीगढ़	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	लक्षद्वीप	दमन और दीव	पुडुचेरी	दादर एवं नगर हवेली
पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	02	17	01	1	2	33	5
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	24	175	13	9	10	110	48
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	14	175	13	7	10	110	48
वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	12	17	01	3	2	33	05
लंबित शिकायतों की संख्या जो दो महीनों से अधिक पुरानी हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या	26	104	73	30	21	246	17

4.4.4 लोकपाल कार्यालय :–

आयोग द्वारा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण 'विद्युत लोकपाल' की नियुक्ति की गई है। विद्युत लोकपाल की प्रादेशिक अधिकारिता संपूर्ण गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू है। सीजीआरएफ द्वारा अपनी शिकायत अथवा परिवाद का निराकरण न किए जाने से व्यथित किसी भी उपभोक्ता के पास अपनी शिकायत अथवा विवाद के समाधान के लिए लोकपाल को अभ्यावेदन करने का विकल्प प्राप्त है। लोकपाल को "जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकरण) विनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों अथवा विवादों को निपटाने का कार्य सौंपा गया है।

लोकपाल प्रथमतः मेलमिलाप अथवा मध्यस्थता के माध्यम से शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच पारस्परिक सहमति से विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है। परस्पर सहमति के माध्यम से निपटान करने में विफल रहने पर लोकपाल संबंधित पक्षकारों अर्थात् उपभोक्ता और लाइसेंसधारक विभाग की दलीलों के आधार पर विवादग्रस्त मामले पर निर्णय सुनाता है।

लोकपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, विस्तृत प्रक्रिया विनिर्धारित की गई है तथा उसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने के लिए इसे सीजीआरएफ और लाइसेंसधारकों को भी प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2014 – 15 के दौरान, गोवा राज्य और चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष 15 अभ्यावेदन दायर किए गए थे। अभ्यावेदनों की संख्या और इन अभ्यावेदनों का विषय मामला निम्नानुसार विस्तार से बताया गया है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभ्यावेदनों की संख्या	विषय–वस्तु	टिप्पणियां
गोवा	03	1. पुनः कनेक्शन 2. बिलिंग विवाद 3. दोषपूर्ण मीटर / अत्याधिक बिलिंग	1. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 2. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 3. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभ्यावेदनों की संख्या	विषय–वस्तु	टिप्पणियां
चंडीगढ़	08	1. बिलिंग विवाद 2. विविध प्रभारों की वसूली 3. अत्याधिक प्रभारों की वसूली 4. विद्युत के अत्याधिक बिल 5. पुनः कनेक्शन / मरम्मत 6. बिलों में अनुचित रूप से अत्यधिक विद्युत की खपत 7. औसत विद्युत के बिल का अतिरिक्त प्रभार 8. विद्युत बिल का अतिरिक्त प्रभार	1. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 2. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 3. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 4. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 5. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 6. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 7. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 8. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट/ आदेश जारी किए गए।
दादरा और नगर हवेली	01	1. पुनः कनेक्शन	1. लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच परस्पर निपटारा।
पुडुचेरी	03	1. पुनः कनेक्शन 2. पुनः कनेक्शन 3. सर्विस कनेक्शन का नाम स्थानांतरण	1. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 2. स्वीकृत और अनुकूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए। 3. स्वीकृत और उपभोक्ता के पक्ष में पंचाट / आदेश जारी किए गए।

इस उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता हैं, कि वर्ष के दौरान स्वीकृत कुल 15 अभ्यावेदनों /अपीलों में से 14 अभ्यावेदनों /अपीलों के संबंध में विद्युत लोकपाल द्वारा पंचाट /आदेश जारी किए गए थे

4.5 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम 2003 के संदर्भ में जेईआरसी द्वारा वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षा और अनुसंधान के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया। आयोग द्वारा संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं :

i. नीति के मुख्य प्रश्न;

ii. लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और इसके विस्तार से संबंधित मामले;

iii. लाइसेंसधारियों द्वारा अपने लाइसेंस की स्थिति और आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;

iv. उपभोक्ता के हितों का संरक्षण;

v. उपयोगिताओं द्वारा निष्पादित विद्युत आपूर्ति और समग्र मानक

8वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक 11.09.2014, नई दिल्ली

4.6 प्रशुल्क आदेश

वित्तीय वर्ष 2015 – 16 से 2017 – 18 की बहुवर्षीय वितरण प्रशुल्क नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय वितरण प्रशुल्क विनियम, 2014 के तहत सभी वितरण लाइसेंस धारकों से याचिकाएं प्राप्त हुई। हालांकि पूरी सूचना के अभाव और लाइसेंस धारियों द्वारा सूचना जमा करने के विलंब के कारण आयोग ने एमवायटी रूपरेखा के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार केवल वित्तीय वर्ष 2015 – 16 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी किए गए, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :–

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली (पारेषण प्रभाग), दमन और दीव और पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लि. (पीपीसीएल) के विद्युत विभागों के प्रशुल्क आदेश 31 मार्च 2015 को या उसके पहले जारी किए गए ।
- डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रशुल्क आदेश 01.04.2015 को जारी किए गए ।
- गोवा के विद्युत विभाग के लिए प्रशुल्क आदेश 06.04.2015 को जारी किए गए ।
- चंडीगढ़ और पुडुचेरी के विद्युत विभागों के लिए प्रशुल्क आदेश 10.04.2015 को जारी किए गए ।
- लक्षद्वीप के विद्युत विभाग के प्रशुल्क आदेश 17.04.2015 को जारी किए गए ।

जेईआरसी मुख्यालय, गुड़गाव में 'राजभाषा हिंदी पखवाड़े' के दौरान पुरस्कार वितरण

4.7 जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के तहत विद्युत जनोपयोगिताओं की मुख्य विशेषताएं*

वित्तीय वर्ष 2014–15								
क्र. सं.	विवरण	जनोपयोगिताएं						
		चंडीगढ़	गोवा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पुडुचेरी	दादर और नगर हवेली	दमन और दीव	लक्षद्वीप
1	उपभोक्ताओं की संख्या	2,07,889	6,08,601	1,22,405	4,27,440	63,715	57,536	20,657
2	कनेक्टेड लोड (किलोवॉट में)	13,77,060	27,47,675	1,93,955	3,84,978	13,29,390	7,39,949	8,424 केवीए
3	ऊर्जा विक्रय (एमयू)	1499.32	3114	223.81	2480	5223.86	1609.82	48.77
4	वसूल किए गए राजस्व (करोड़ रु.)	724.13	1147.44	106.45	1142.70	2219.32	776.44	13.30
5	आपूर्ति की औसत लागत (रु. / कि. वॉ. घं.)	3.85	4.36	26.64	4.52	4.39	5.16	28.00
6	औसत प्रशुल्क (रु. / कि. वॉ. घं.)	4.83	3.68	4.75	4.60	4.53	5.14	2.73
7	सकल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु.)	711.47	1359.92	596.33	1121.37	2292.67	779.69	136.56
8	वर्ष के लिए एआरआर (गैप) / अधिशेष (करोड़ रु.)	36.17	(212.48)	(489.88)	21.33	72.85	(3.25)	(123.26)
9	टी एंड डी हानि (प्रतिशत)	14%	11.50	17	12.00	4.70	8.70	14.00
10	एसीओएस (प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में औसत प्रशुल्क	128	84	18	102	103	100	10
11	प्रतिशत एसीओएस के रूप में घरेलू	86	43	11	54	59	50	उपलब्ध नहीं
12	एसीओएस के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक	97	87	26	110	74	68	उपलब्ध नहीं
13	एसीओएस के प्रतिशत के रूप में औद्योगिक	94	88	20	121	107	105	उपलब्ध नहीं
14	एसीओएस के प्रतिशत के रूप में कृषि	48	42	5	7	19	16	उपलब्ध नहीं
15	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में घरेलू राजस्व	43.82	11.92	30.59	14.75	1.02	2.83	उपलब्ध नहीं
16	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक राजस्व	33.96	15.01	37.67	8.17	0.37	2.00	उपलब्ध नहीं
17	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में औद्योगिक राजस्व	15.14	46.00	6.27	76.92	98.44	94.39	उपलब्ध नहीं
18	कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कृषि राजस्व	0.06	0.49	0.11	0.16	0.02	0.02	उपलब्ध नहीं

*आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014–15 के समीक्षा आदेश से लिए गए हैं।

4.8 टी एंड डी और क्षेत्रीय संप्रेषण घाटे

क्रम सं.	लाइसेंसधारक का नाम	वित्तीय वर्ष 2014–15	
		जेईआरसी द्वारा स्वीकृत टी एंड डी घाटा (प्रतिशत)	क्षेत्रीय संप्रेषण घाटा (प्रतिशत)
1.	गोवा राज्य	11.50	3.71
2.	अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र*	17.00	लागू नहीं
3.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	14.75	3.78
4.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	8.70	3.71
5.	दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	4.70	3.71
6.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	12.00	5.00
7.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र*	14.00	लागू नहीं

*क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड से जुडा नहीं हैं।

4.9 वित्तीय वर्ष 2014–15 में याचिकाओं की स्थिति

1.04.2014 की स्थिति के अनुसार याचिकाएं	6
वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त याचिकाएं	33
वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल याचिकाएं	39
वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान याचिकाओं का निपटारा	37
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार याचिकाएं	2

क्रमांक	विवरण
1.	जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2010 और जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) प्रथम संशोधन विनियम, 2013 के कुछ प्रावधान में स्पष्टीकरण के लिए याचिका विद्युत विभाग – पुडुचेरी : याचिकाकर्ता
2.	जेईआरसी प्रशुल्क विनियम 2009 के विनियम 7(3) और एफपीपीसीए आदेश दिनांक 27.06.2012 के तहत गोवा के विद्युत विभाग हेतु ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) सूत्र की समीक्षा के लिए याचिका विद्युत विभाग – गोवा : याचिकाकर्ता

4.10 स्वयंप्रेरित (स्वो–मोटो) याचिकाएं

क्र. सं. 4.9 में निर्दिष्ट याचिकाओं के अलावा, वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोग द्वारा ली गई स्वयंप्रेरित याचिकाओं की स्थिति निम्नानुसार हैं :

01.04.2015 की स्थिति के अनुसार स्वयंप्रेरित याचिकाएं	3
2014–15 में आरंभिक स्वयंप्रेरित याचिकाएं	0
कुल	3
2014–15 के दौरान स्वयंप्रेरित याचिकाओं का निपटारा	2
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार स्वयंप्रेरित याचिकाएं	1

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन स्वयंप्रेरित याचिकाओं का विवरण

क्र. सं.	इस मामले में
i.	उपभोक्ता मीटिरिंग, रीडिंग और बिलिंग की श्रेणीवार स्थिति प्रतिवादी : सचिव (विद्युत), गोवा राज्य सचिव (विद्युत), अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र सचिव (विद्युत), चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सचिव (विद्युत), दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सचिव (विद्युत), दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सचिव (विद्युत), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सचिव (विद्युत), पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

दमन से 9 जनवरी, 2015 को जन सुनवाई का दृष्य

5. आय और व्यय को दर्शाता आयोग का वार्षिक लेखा

आयोग को वर्ष 2013–14 से संबंधित 8.32 लाख रु. के बचत के अलावा सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2014–15 के लिए बजट अनुमान में 542 लाख रु. के बजट का आबंटन किया गया।

5.1 वर्ष 2014–15 के लिए आय और व्यय का विवरण :–

क्रम सं	विवरण	आय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
	अग्रेषित शेष राशि	8.32	
क	आय :		
	अनुदानों / ऋणों / सब्सिडी द्वारा		
	भारत सरकार से (सहायता अनुदान)		
	स्वीकृति सं. और तिथि के माध्यम से प्राप्त सहायता अनुदान		
	i. 47/6/2010–आर एंड आर 21.04.2014	200.00	
	ii. 47/6/2010–आर एंड आर 18.09.2014	200.00	
	iii. 47/6/2010–आर एंड आर 28.01.2015	142.00	
	कुल	542.00	
	एफओआर से प्राप्त अंशदान / सदस्यता		
	रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि द्वारा		
	बचत खाते पर ब्याज		
ख	व्यय :		
1.	वेतन (आयोग के अध्यक्ष और सदस्य)		22.59
2.	वेतन (अधिकारी और प्रतिष्ठान)		68.09
3.	व्यावसायिकों और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान।		
	(क) व्यावसायिक		76.46
	(ख) अन्य सेवाएं		47.02
	i. कार्मिकों की बाहर से नियुक्ति 41.81		
	ii. गृह प्रबंधन के लिए की बाहर से नियुक्ति 3.32		
	iii. सुरक्षा कार्मिकों की बाहर से नियुक्ति 1.89		
4.	घरेलू यात्रा	–	27.28
5.	विदेश यात्रा	–	–

क्रम सं	विवरण		आय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
6.	सीपीएफ*		–	1.22
7.	विद्युत और ऊर्जा		–	2.63
8.	किराए की दर और कर		–	177.23
9.	वाहन (वाहनों को किराए पर लेना)		–	13.37
10.	डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क		–	3.77
11.	लेखन सामग्री		–	6.11
12.	एफओआर / एफओआईआर आदि के लिए सदस्यता		–	7.96
13.	सेमिनार और सम्मेलन		–	1.99
14.	विधिक शुल्क		–	2.64
15.	विज्ञापन और प्रकाशन		–	7.79
16.	अन्य :			
	क) कार्यालय व्यय	24.92		25.17
	ख) बैंक प्रभार	0.07	–	
	ग) विविध	0.18		
17.	मशीनरी और उपकरण		–	4.10
18.	फर्नीचर और फिक्चर्स		–	0.91
19.	लोकपाल पर व्यय		–	39.52
	कुल		–	535.85
	बैंक में शेष		–	14.47
	कुल		550.32	550.32

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़े आयोग के आंतरिक अभिलेखों पर आधारित हैं।

*अध्यक्ष के संबंध में सरकारी अंशदान।

5.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विद्युत विभाग – गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क

क्रम सं.	प्राप्ति की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	राशि (रुपए में)
1.	01.04.2014	विद्युत विभाग, गोवा	50,00,000
2.	03.04.2014	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	27,83,000
3.	11.04.2014	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	62,10,070
4.	26.08.2014	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,96,550
5.	04.09.2014	विद्युत विभाग, दमन और दीव	49,87,000
6.	01.10.2014	विद्युत विभाग, डीएनएचपीडीसीएल	99,00,000
7.	01.10.2014	विद्युत विभाग, डीएनएचपीडीसीएल (पारेषण प्रभाग)	22,49,500
8.	16.03.2015	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	72,817
	कुल		3,17,98,937

5.2 (1) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विद्युत विभाग– गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क

क्रम सं.	प्राप्ति की तिथि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	राशि (रुपए में)
1.	03.03.2015	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	60,87,670
2.	27.03.2015	विद्युत विभाग, गोवा	56,84,750
	कुल		1,17,72,420

5.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क :–

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विभाग	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / अन्य	राशि (रुपए में)
1.	07.04.2014	मे. प्रकाश इंडस्ट्रियल लि.	आवेदक की भूमि पर अवैध निर्माण के प्रयास के मामले में याचिका और दिनांक 27.03.2014 को आदेश।	10,000/–
2.	11.04.2014	मे. ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन, मुंबई	जेईआरसी (अक्षय ऊर्जा की खरीद) विनियमन, 2010 के अनुपालन के मामले में स्वयंप्रेरित कार्रवाई	10,000/–
3.	28.04.2014	ईडी – चंडीगढ़	जेईआरसी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दिनांक 11.02.2014 के अनुसार समय बढ़ाने की मांग के लिए याचिका	10,000/–
4.	27.05.2014	ईडी–गोवा	पुनर्विचार याचिका दर्ज करने के लिए शुल्क	75,000/–
5.	30.05.2014	सीआरईएसटी	आदेश दिनांक 11.04.2014 के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को दर्ज करना	10,000/–
6.	03.06.2014	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रशुल्क आदेश के संबंध में पुनर्विचार याचिका	70,610/–
7.	09.06.2014	मे. केम्फेब अल्कालिस लि. और अन्य	ईडी – पुडुचेरी के लिए आदेश दिनांक 25.04.2014 की पुनर्विचार याचिका	25,000/–
8.	08.07.2014	ईडी–पुडुचेरी	वित्तीय वर्ष 13–14 के तिमाही 1 और 2 के लिए घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के दावे करने की छूट के लिए आयोग के अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका	10,000/–
9.	08.07.2014	ईडी– पुडुचेरी	अस्थायी श्रेणी के लिए खपत के विभिन्न वॉल्टेज स्तरों के रिटेल आपूर्ति और मान्यता की अस्थायी श्रेणी के निर्धारण के लिए याचिका	10,000/–
10.	08.07.2014	ईडी– पुडुचेरी	जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2010 और प्रथम संशोधन, 2013 के कुछ प्रावधानों में स्पष्टीकरणों के लिए याचिका	10,000/–
11.	08.07.2014	डीएनएचपीडीसीएल	वार्षिक आधार पर 145 मिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा विद्युत की खरीद के लिए आरएफपी दस्तावेजों के संबंध में जेईआरसी के अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका	10,000/–
12.	19.08.2014	ईडी–दमन	जेईआरसी विनियम के मुक्त पहुंच के तहत लाभ उठाने के लिए खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य अतिरिक्त प्रभार के निर्धारण के लिए जेईआरसी के अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका	10,000/–

13.	19.08.2014	ईडी–दमन	वार्षिक आधार पर 70 मिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा विद्युत की खरीद के लिए आरएफपी दस्तावेजों के संबंध में जेईआरसी के अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका	10,000/–
14.	19.08.2014	ईडी–चंडीगढ़	याचिका सं. 129 /2014 के माध्यम से जेईआरसी द्वारा दिनांक 24.06.2014 को पारित आदेशों की समीक्षा के लिए आपत्तिकर्ता की ओर से आवेदन	10,000/–
15.	12.09.2014	मे. परफेक्ट फिलामेंट्स लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की घोर उपेक्षा में 4,82,213 रु. की अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुभाग 62 (6) के तहत याचिका	1,000/–
16.	26.09.2014	ईडी–पुडुचेरी	एनपीसीआईएल के साथ दर्ज कराए जाने के लिए पीपीए के अनुमोदन की मांग करने हेतु शुल्क	10,000/–
17.	01.10.2014	ईडी – दमन	वित्तीय वर्ष 2015–18 की अवधि में एमवाईटी के लिए व्यापार योजना को दाखिल करना	1,00,000/–
18.	01.10.2014	ईडी–पुडुचेरी	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के लिए एमवाईटी व्यापार योजना के लिए शुल्क	1,00,000/–
19.	20.10.2014	ईडी–चंडीगढ़	रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, हि. प्र. से विद्युत की आपूर्ति के लिए मे. एसजेवीएनएल के साथ ईडी–चंडीगढ़ द्वारा दर्ज कराए जाने के लिए मसौदा पीपीए प्रस्ताव के अनुमोदन की मांग के लिए आवेदन	1,00,000/–
20.	20.10.2014	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीपीसीएल गैस पावर स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण, वित्तीय वर्ष 11–12, 12–13 के लिए प्रमाणन और वित्तीय वर्ष 13–14 की समीक्षा हेतु प्रशुल्क आदेश दिनांक 25.04.2014 से जुड़े अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण को जमा करना	1,00,000/–
21.	10.11.2014	ईडी–चंडीगढ़	जेईआरसी (सीओबी) विनियमन, 2009 के खंड 82 के तहत जेईआरसी निर्देश सं. 1 और 2 के अनुपालन के लिए समय के विस्तार के लिए याचिका	10,000/–
22.	12.11.2014	ईडी–चंडीगढ़	याचिका सं. 129/2014 में जेईआरसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका के लिए शुल्क	10,000/–

23.	17.11.2014	ईडी – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–2018 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के 3 वर्षों के लिए व्यापार योजना को प्रस्तुत करने के लिए शुल्क	1,00,000/–
24.	20.11.2014	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–2018 तक व्यापार योजना और एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए यात्रिका को दर्ज करने हेतु समय के विस्तार के लिए याचिका शुल्क	10,000/–
25.	03.12.2014	डीएनएचपीडीसीएल	डीएनएचपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2015–18 हेतु व्यापार योजना और एमवाईटी नियंत्रण अवधि के अनुमोदन हेतु याचिका	1,00,000/–
26.	03.12.2014	डीएनएचपीडीसीएल	विलम्ब की माफी के लिए शुल्क	10,000/–
27.	03.12.2014	डीएनएचपीडीसीएल	वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 17–18 की एमवाईटी नियंत्रण अविधि के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तावित शुल्क के अनुमोदन हेतु याचिका	8,25,000/–
28.	03.12.2014	ईडी – दमन	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नियंत्रण अवधि हेतु एआरआर और एमवाईटी निर्धारण के अनुमोदन के लिए याचिका	6,50,000/–
29.	03.12.2014	ईडी – डीएनएच	पारेषण प्रभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एआरआर और प्रस्तावित प्रशुल्क के अनुमोदन हेतु याचिका	15,00,000/–
30.	03.12.2014	ईडी–पुडुचेरी	एनपीसीआईएल के साथ दर्ज कराए जाने के लिए पीपीए हेतु अनुमोदन की मांग करने के संशोधित शुल्क प्रस्तुत करना	6,60,000/–
31.	15.12.2014	ईडी – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ईडी–ए एंड एन के एमवाईटी व्यापार योजना 2015–16 से 2017–18 के लिए समय का विस्तार का प्रस्तुतिकरण	10,000/–
32.	15.12.2014	ईडी – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक 3 वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका का प्रस्तुतिकरण	5,34,500/–
33.	16.12.2014	ईडी–गोवा	ईडी–गोवा के एमवाईटी व्यापार योजना 2015–16 से 2017–18 के लिए समय बढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण	10,000/–
34.	16.12.2014	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पीपीसीएल गैस पावर स्टेशन के प्रशुल्क याचिका को दर्ज करने में देरी की माफी के लिए आवेदन	10,000/–
35.	02.01.2015	ईडी–पुडुचेरी	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका को दर्ज करने के लिए शुल्क	7,50,000/–
36.	06.01.2015	पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.15 से 31.03.16 के लिए पीपीसीएल गैस पावर स्टेशन के लिए प्रशुल्क याचिका को दर्ज करने के लिए शुल्क	10,00,000/–

37.	22.01.2015	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 के नियंत्रण अवधि के लिए व्यापार योजना और एमवाईटी याचिका को दर्ज करने के लिए समय के अन्य विस्तार को दर्ज करने के लिए शुल्क	10,000/–
38.	24.01.2015	ईडी–चंडीगढ़	चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के विद्युत विंग के वित्तीय वर्ष 15–16 से 17–18 के लिए व्यापार योजना के अनुमोदन हेतु याचिका	1,00,000/–
39.	24.01.2015	ईडी–गोवा	20.12.14 तक व्यापार योजना को दर्ज करने के लिए देरी की माफी के लिए आवेदन	10,000/–
40.	24.01.2015	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका को दर्ज करने के लिए शुल्क	7,70,000/–
41.	24.01.2015	ईडी–गोवा	20.12.14 तक एमवाईटी याचिका के दर्ज करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए शुल्क	10,000/–
42.	24.01.2015	ईडी–गोवा	15.01.15 तक एमवाईटी याचिका के दर्ज करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	10,000/–
43.	24.01.2015	ईडी–गोवा	15.01.15 तक व्यापार योजना दर्ज करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	10,000/–
44.	24.01.2015	ईडी–गोवा	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्यापार योजना को दर्ज करने के लिए शुल्क	1,00,000/–
45.	10.02.2015	ईडी–लक्षद्वीप	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका को दर्ज करने के लिए शुल्क	5,04,000/–
46.	10.02.2015	ईडी–लक्षद्वीप	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्यापार योजना को दर्ज करने के लिए शुल्क	1,00,000/–
47.	27.02.2015	ईडी–गोवा	एफपीपीसीए सूत्र के पुनर्विचार के लिए शुल्क	10,000/–
48.	30.03.2015	ईडी–चंडीगढ़	एमवाईटी याचिका दर्ज करने के लिए समय के विस्तार हेतु शुल्क	10,000/–
49.	18.03.2015	ईडी–चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 की नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका को दर्ज करने के लिए शुल्क	7,25,500/–
		कुल		92,32,610/–

अन्य शुल्क

क्र. सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विभाग	विवरण	(राशि रुपए में)
1.	29.05.2014	मे. शैलेष सिंह एडवोकेट्स	आदेश दिनांक 19.05.2014 की प्रमाणित प्रति के लिए शुल्क	40/–
2.	17.06.2014	मे. रितेश कुमार चौधरी, एडवोकेट्स	डीएनएचपीडीसीएल के दिनांक 05.05.14 के प्रशुल्क आदेश की प्रमाणित प्रति	800/–
3.	17.09.2014	मे. एलीगेंट कास्टिंग प्रा. लि.,	सिलवासा आदेश दिनांक 05.05.2014 की प्रमाणित प्रति के अनुदान के लिए शुल्क	800/–
		कुल		1640/–.

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के विवरण

निदेशक (वित्त एवं विधि) को आयोग के जन सूचना अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। वर्ष के दौरान आवेदनों की प्राप्ति और निपटारे की संख्या निम्नानुसार हैं :–

आवेदनों की प्राप्ति	20
आवेदनों का निपटारा	20
आवेदन जिनकी जानकारी से इनकार किया गया	शून्य

7. आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना

7.1 तीन वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यापार योजना का निर्गमन

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की नियंत्रण अवधि के लिए व्यापार योजना याचिका के अनुमोदन के लिए आदेश पर कार्रवाई का प्रस्ताव है और उन्हें मध्य अक्तूबर, 2015 तक जारी किया जाना है।

7.2 वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क आदेशों का निर्गमन

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की नियंत्रण अवधि के लिए सात वितरण लाइसेंस धारकों के लिए बहुवर्षीय प्रशुल्क आदेश जारी करने का प्रस्ताव है।

7.3 उत्पादन और पारेषण प्रशुल्क आदेश जारी करना

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक पीपीसीएल के लिए उत्पादन प्रशुल्क आदेश और ईडी – डीएनएच के लिए पारेषण प्रशुल्क आदेश जारी करने का कार्य पूरा होने का प्रस्ताव है।

7.4 राज्य सलाहकार समिति –

विनियम जेईआरसी 07 /2009 के संदर्भ में राज्य सलाहकार समिति की नियमित बैठकों की योजना बनाई जा रही है। समिति की दो बैठकें वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित हैं।

7.5 सौर विद्युत प्रशुल्क तय करना – भूमि पर लगाए गए ग्रिड संबद्ध और सौर रुफ टॉप के साथ निवल मीटरिंग विनियम

जेईआरसी – भूमि पर लगाए गए ग्रिड संबद्ध और सौर रुफ टॉप के साथ निवल मीटरिंग विनियम, 2015 आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और ये भारत सरकार से राज पत्र अधिसूचना के बाद प्रभावी होंगे। ये विनियम वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रथम तिमाही में अधिसूचित किए जाएंगे।

7.6 विनियमों में संशोधन

मौजूदा विनियमों की समीक्षा प्रगति पर है और संशोधन जारी करने की लक्ष्य तिथि 30 नवंबर 2015 निर्धारित की गई है।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES)

7th Annual Report

for the Financial Year

2014-15

(Under Section 105 of the Electricity Act, 2003)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES
'Vanijya Nikunj', 2nd Floor, HSIIDC Office Complex,
Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016(Haryana)
Website: www.iercuts.gov.in
E-mail: secy-jerc@nic.in

Contents

S.No.	Content		Page No.
1.	**THE COMMISSION IN BRIEF**		
	1.1	Introduction	3
	1.2	Profile of Members of the Commission	4-5
	1.3	Office of the Commission	5
	1.4	Organization structure	5
2.	**THE MANDATE OF THE COMMISSION**		**6-7**
3.	**MISSION STATEMENT**		**8**
4.	**THE YEAR IN RETROSPECT**		**9-18**
5.	**ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION SHOWING INCOME AND EXPENDITURE**		**19-25**
6.	**DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005**		**26**
7.	**WORK PLAN FOR THE YEAR AHEAD**		**26- 27**

1. THE COMMISSION IN BRIEF

1.1 Introduction

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurgaon, Haryana.

During the year the Commission has endeavored to set up a fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Seventh Annual Report of the Commission presents the activities of the Commission during the Financial Year 2014-15.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.3 Member

Post of the Member is vacant since 12.02.2014.

1.4 Office of the Commission

Ms. Keerti Tewari, an IA&AS officer of 1992 Batch joined as Secretary in the Commission on deputation w.e.f. 12.06.2014.

Shri D.R. Parmar, Joint Director (Technical) from Gujarat Electricity Regulatory Commission joined as Director (Engineering) w.e.f. 30.10.2014 on deputation.

Shri Anish Garg, Manager (Technical) from Delhi Transco Limited joined as Director (Finance & Law) on 17.07.2012 on deputation.

Shri Pramod Singh, Pay & Accounts Officer from Ministry of HRD joined as Administrative-cum-Accounts officer on 01.08.2012 on deputation.

Shri Ramesh Kumar, Private Secretary from Ministry of Rural Development joined as Principal Private Secretary on 06.11.2012 on deputation.

1.5 Organization structure

In terms of Section 91 of the Electricity Act, the Ministry of Power sanctioned the staff strength and accordingly the recruitment process started. The Organizational Structure (excluding Secretarial support) is as below:-

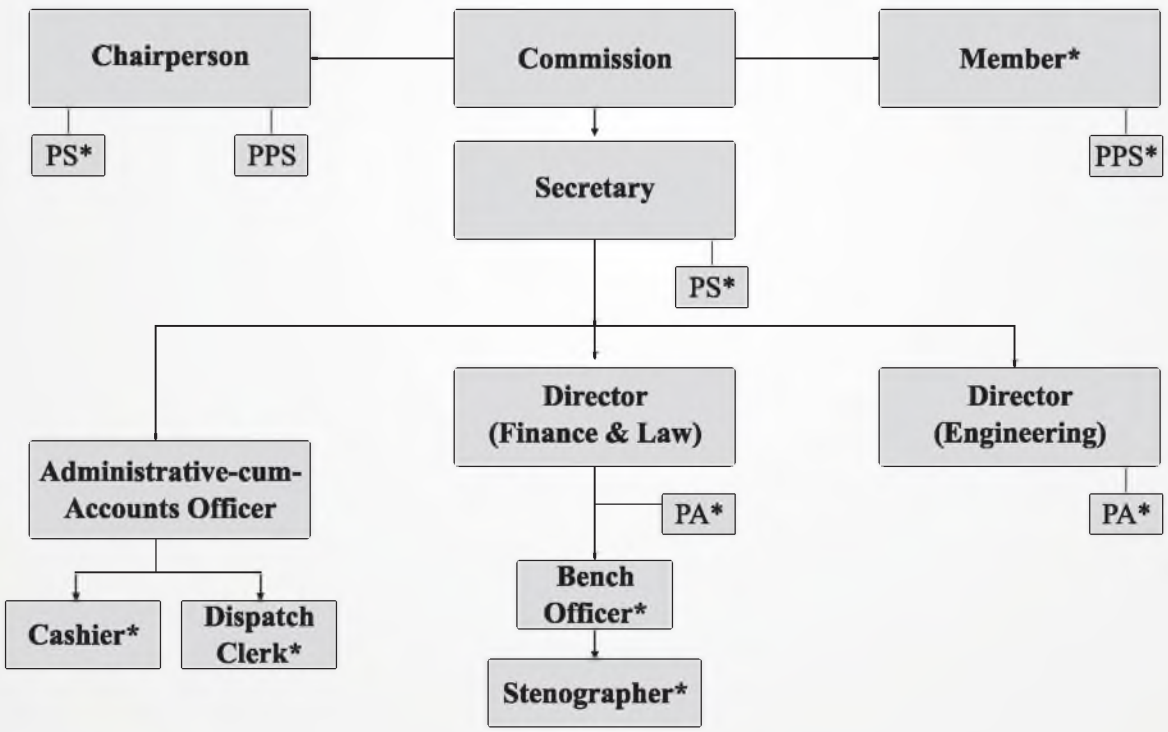

* Vacant

2. THE MANDATE OF THE COMMISSION

The Electricity Act, 2003, aims at consolidating the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalisation of electricity tariff, ensuring transparent policies.

2.1 The Commission is vested with the responsibility of discharging the following functions:

a) determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be;

b) regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) issue licences to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) levy fee for the purposes specified under this Act;

h) specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity regulatory Commission;

i) specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;

j) fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;

k) approval of Power Purchase Agreements, and

l) discharge such other functions as may be assigned to it under the Act.

2.2 The Commission has to advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely:-.

a) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;

b) promotion of investment in electricity industry;

c) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ Uts

d) matters concerning generation, transmission , distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

2.3 The Commission has to ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions.

2.4 In discharge of its functions the Joint Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

Hearing in the Court room of JERC Headquarters, Gurgaon

3. MISSION STATEMENT

The Joint Electricity Regulatory Commission is committed to fulfill its mandate for creating an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories, balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and participation in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories and to give a fair deal to consumers at the same time.

To achieve the above, the Commission aims to:

a) Promote competition, efficiency and economy in the activities of the Electricity Industry within the State of Goa and the Union Territories;

b) Regulate effectively the power purchase and procurement process of the distribution licensees for sale, distribution and supply of electricity within the State of Goa & Union Territories;

c) Encourage cogeneration and use of energy generated from Renewable Sources;

d) Ensure consumer satisfaction with an effective mechanism to redress complaints on time bound basis;

e) Introduce open-access and reduce cross-subsidy;

f) Improve access to information for all Stakeholders.

A still from Public Hearing on 18.03.2015 at Chandigarh

4. THE YEAR IN RETROSPECT

4.1 Issuance of Regulations

The following Regulations have been issued during the year 2014-15:-

- Regulation No. 17. Joint Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2014.
- Regulation No. 18. Joint Electricity Regulatory Commission (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014.

4.2 Amendments in Regulations

The following Regulations have been amended during the year 2014-15:-

1. Regulation No. 1. (Conduct of Business) Third Amendment Regulations, 2014.
2. Regulation No. 1. (Conduct of Business) Fourth Amendment Regulations, 2015.
3. Regulation No. 3. (Appointment and Functioning of Ombudsman) Second Amendment Regulations, 2015.
4. Regulation No. 7. (State Advisory Committee) First Amendment Regulations, 2015.
5. Regulation No. 4 (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Second Amendment Regulations, 2015.
6. Regulation No. 8 (Appointment of Consultants) First Amendment Regulations, 2015
7. Regulation No. 14 (Procurement of Renewable Energy) First Amendment, 2014

4.3 Commission's Web Site

JERC has its own website www.jercuts.gov.in which is regularly updated to provide transparency, easy access and wide publicity to consumers and other stakeholders in respect of various activities being undertaken.

All Petitions, Orders, Tariff Orders, Regulations and other relevant notices are hosted on the Commission's website, to ensure transparency and stakeholders' participation.

4.4 Protecting Consumers' Interest

4.4.1. Redressal of Grievances

The preamble of the Electricity Act, 2003 makes a specific mention of protecting the interest of consumers. The Act provides under Sub- section (5) of Section 42 for establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as "JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009" and "JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009". These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers' grievances.

These Regulations are available on the website of the Commission.

4.4.2 Establishment of CGRF

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional , the details of which are given below :-

S.No	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1	Goa	1. Sh. V.K. Jha 2. Sh. Nelson Iype P. 3. Smt. Sandra Vaze Correia	Chairperson Member Nominated Member	Electricity Department, 4th Floor, Vidhyut Bhavan, Vasco- Goa	9881102937/ 0832-2501836 7588459505 09422063637	Vkjha57@yahoo.com Nelson1950@rediffmail. com Adv.sandracorreia@gmail. com
2	Andaman & Nicobar Islands	1. Sh. Yameen Md. Murtaja 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Nominated Member	Office of the CGRF, Horticulture Road, Haddo, Port Blair.	09434289754 03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and.nic.in basudamails@gmail.com
3	Chandigarh	1. Sh. R.K. Arora 2. Sh. Ram Lakshman Mittal 3. Sh. G.D. Saini	Chairperson Nominated Member Member	Room No. 531 & 530, 5th Floor, UT. Secretariat, Deluxe Building, Sector - 9D, Chandigarh.	09357156161 (0172-2745531) 08872441999	chairpersoncgrf@gmail.com
4	Daman & Diu	1. Sh. A.P. Waghmare 2. Sh. T.D. Davda 3. Sh. Ramakant Mishra	Chairperson Member Nominated Member	Department of Electricity, Power House Building, Sea Facing road, Nani, Daman- 396210	09833849653 09978228900	anil.india28@gmail.com tarundavda@rediffmail.com Ramakant5@yahoo.co.in
5	Dadra & Nagar	1. Sh. B.N. Mehta 2. Sh. Chandarkant M. Parekh 3.Vacant	Chairperson Nominated Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, 66 KV substation, Amli Road, Silvassa-396230	09825400184 09824110521	Chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	Lakshadweep	1. Sh. M.N. Chandran 2 Sh. P. Ameer 3. Vacant	Chairperson Nominated Member Member	Executive Engineer (Electricity), Electricity Division Office, UT of Lakshadweep, Kavaratti- 682 555	09446141777 09447602786	Lk-ktelect@nic.in
7	Puducherry	1. Sh. K. Ramasubramanian 2. Sh. D. Gunasekaran 3. Sh. G. Venkatesan Member	Chairperson Member Nominated	No. 4, 3rd Cross Street, Sathya Nagar, New Saram, Puducherry- 605013	09443194005	cgrfpon@gmail.com

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department.

CGRFs entertain any kind of complaint or grievance concerned with electricity supply to the consumers except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

CGRFs do not entertain complaints or grievances if they pertain to the same subject matter for which any proceedings before any court of law or authority (except those under the control of distribution licensee) or the Forum are pending or a decree, award or a final order has already been passed. CGRFs also do not entertain any complaint in regard to recovery of arrears where the billed amount is not disputed.

CGRFs may reject the complaint/ grievance at any stage if it appears that the same is frivolous, vexatious, malafide or without any sufficient cause or there is no prima facie loss or damage or inconvenience caused to the consumer. However, CGRFs provide an opportunity of being heard before rejecting the complaints of consumers on this account.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centers and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish to have the same for their information or knowledge can collect it without any hindrance.

4.4.3 Grievances Settled by CGRF during the year:-

Jurisdiction of CGRF / Disposal of Grievances by CGRF	Goa	Chandi -garh	A& N Islands	Lakshad -weep	Daman & Diu	Puduc -herry	Dadra & Nagar Haveli
No. of grievances outstanding at the close of previous year	02	17	01	1	2	33	5
No. of grievances received during the year	24	175	13	9	10	110	48
No. of grievance disposed during the year	14	175	13	7	10	110	48
No. of grievances pending at the close of the year	12	17	01	3	2	33	05
No. of grievances pending which are older than two months	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
No. of sittings of CGRF in the year	26	1 04	73	30	21	246	17

4.4.4 Ombudsman Office:-

Electricity Ombudsman, a statutory authority has been appointed by the Commission for the State of Goa and UTs. The territorial jurisdiction of the Electricity Ombudsman extends to the whole State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman. The Ombudsman has been entrusted with the task of settling the grievances or disputes of consumers as per the provisions of "JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009" and as amended from time to time.

The Ombudsman, in the first instance, endeavours to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through conciliation or mediation. Failing settlement through agreement, the Ombudsman decides the matter in the dispute on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving due publicity.

During the year 2014-15 , fifteen representations were filed before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers in the State of Goa and UTs of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry and Lakshadweep. The number of representations and subject matter of these representations are detailed as under:

State/ UTs	Number of representations	Subject matter	Remarks
Goa	03	1. Reconnection 2. Billing dispute 3. Faulty Meter/excess billing	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 2. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer.

State/ UTs	Number of representations	Subject matter	Remarks
Chandigarh	08	1. Billing dispute. 2. Refund of Sundry charges. 3. Refund of excess charges 4. Excessive electricity bills 5. Reconnection/restoration 6. Unreasonably excessive electric consumption bills 7. Excess charging of average electricity bill. 8. Excess charging of electricity bill.	1. Admitted and award/order issued in favour of the consumer. 2. Admitted and award/order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 4. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 5. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 6. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 7. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 8. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer
Dadra and Nagar Haveli	01	1.Reconnection	1. Mutually settled between the licensee and the consumer.
Puducherry	03	1. Reconnection 2. Reconnection 3. Name transfer of service connection.	1. Admitted and award/order issued in favour of consumer. 2. Admitted and award/order issued in favour of consumer after producing favorable certificate. 3. Admitted and award/order issued in favour of consumer.
It may be seen from the above table, awards/ orders were issued by the Electricity Ombudsman in respect of 14 representations/ appeals out of 15 which were admitted during the year.			

4.5 State Advisory Committee

JERC, in terms of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, consumers, Non Government Organizations, education and research. The Commission meets regularly to deliberate on issues regarding:

I. Major questions of policy;

ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;

iv. Protection of consumer interests;

v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

8th Meeting of the State Advisory Committee held on 11.09.2014 at New Delhi

4.6 Tariff Orders

Petitions were received from all the distribution licensees under MYT Regulations, 2014 for the MYT control period FY 2015-16 to FY 2017-18. However, due to lack of complete information and delayed submission of information by the licensees, the Commission decided to defer the implementation of the MYT frame work. Accordingly, Tariff Orders were issued for the year FY 2015-16 only, the details of which are given hereunder:-

- Tariff Orders for electricity departments of Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli (Transmission Division), Daman & Diu and Puducherry Power Corporation Ltd. (PPCL) were issued on or before 31st March, 2015.
- Tariff Order for DNH Power Distribution Corporation Limited was issued on 01.04.2015.
- Tariff Order for electricity department of Goa was issued on 06.04.2015.
- Tariff Order for Electricity departments of Chandigarh & Puducherry were issued on 10.04.2015.
- Tariff Order for electricity department of Lakshadweep was issued on 17.04.2015.

Prize distribution during 'RajBhasha Hindi Pakhwada' at JERC Headquarters, Gurgaon

4.7 Highlights of the electricity utilities under jurisdiction of JERC*

FY 2014-15								
S. No.	Particulars	UTILITIES						
		Chandi-garh	Goa	Andaman & Nicobar Islands	Puduc-herry	Dadra and Nagar Haveli	Daman & Diu	Laksha-dweep
1	No. of Consumers	2,07,889	6,08,601	1,22,405	4,27,440	63,715	57,536	20,657
2	Connected Load (in kW)	13,77,060	27,47,675	1,93,955	3,84,978	13,29,390	7,39,949	8,424 KvA
3	Energy Sales (MUs)	1499.32	3114	223.81	2480	5223.86	1609.82	48.77
4	Revenue Realised (Rs. Crs)	724.13	1147.44	106.45	1142.70	2219.32	776.44	13.30
5	Average cost of supply (Rs/kwh)	3.85	4.36	26.64	4.52	4.39	5.16	28.00
6	Average Tariff (Rs/kwh)	4.83	3.68	4.75	4.60	4.53	5.14	2.73
7	Aggregate Revenue Requirement (Rs. Crs)	711.47	1359.92	596.33	1121.37	2292.67	779.69	136.56
8	ARR (Gap)/ Surplus (Rs. cr) for the year	36.17	(212.48)	(489.88)	21.33	72.85	(3.25)	(123.26)
9	T&D Loss (%)	14%	11.50	17	12.00	4.70	8.70	14.00
10	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	128	84	18	102	103	100	10
11	Domestic as % ACoS	86	43	11	54	59	50	N.A
12	Commercial as % of ACoS	97	87	26	110	74	68	N.A
13	Industrial as % of ACoS	94	88	20	121	107	105	N.A
14	Agriculture as % of ACoS	48	42	5	7	19	16	N.A
15	Domestic Revenue as % of Total Revenue	43.82	11.92	30.59	14.75	1.02	2.83	N.A
16	Commercial Revenue as % of Total Revenue	33.96	15.01	37.67	8.17	0.37	2.00	N.A
17	Industrial Revenue as % of Total Revenue	15.14	46.00	6.27	76.92	98.44	94.39	N.A.
18	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	0.06	0.49	0.11	0.16	0.02	0.02	NA

*Data is taken from Review Order of FY 2014-15

4.8 T&D and Regional Transmission Losses

S.No.	Name of Licensee	FY 2014-15	
		T&D loss (%) admitted by JERC	Regional Transmission loss (%)
1.	State of Goa	11.50	3.71
2.	UT of Andaman & Nicobar*	17.00	Not Applicable
3.	UT of Chandigarh	14.75	3.78
4.	UT of Daman & Diu	8.70	3.71
5.	UT of Dadra and Nagar Haveli	4.70	3.71
6.	UT of Puducherry	12.00	5.00
7.	UT of Lakshadweep*	14.00	Not Applicable

* Not connected to Regional/National Grid.

4.9 Status of Petitions in FY 2014-15

Petitions as on 1.04.2014	6
Petitions received during FY 2014-15	33
Total Petitions in FY 2014-15	**39**
Petitions disposed of during FY 2014-15	37
Petitions as on 31.03.2015	2

S.No.	Particular
1.	Petition for clarification in certain provision of JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 and the JERC (Electricity Supply Code) first amendment Regulations, 2013 Electricity Department-Puducherry : Petitioner
2.	Petition for review of Fuel & Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA) formula for the Electricity Department of Goa under Regulation 7(3) of JERC Tariff Regulations 2009 and FPPCA Order dated 27.06.2012 Electricity Department-Goa : Petitioner

4.10 Suo-moto Petitions

In addition to Petitions at Sl. No. 4.9, the status of Suo-Moto petitions taken up by the Commission in FY 2014-15 is as under:-

Suo-Moto Petitions as on 1.04.2014	3
Suo-Moto Petitions initiated in 2014-15	0
Total	**3**
Suo-Moto Petitions disposed of during 2014-15	2
Suo-Moto Petitions as on 31.03.2015	1

Details of Suo- Moto Petitions under process as on 31.03.2015

Sl. No	In the Matter of
I.	Status of Consumer Metering, Reading and Billing of category wise Respondents : Secretary (Power), State of Goa, Secretary (Power), UT of Andaman & Nicobar Islands, Secretary (Power), UT of Chandigarh, Secretary (Power), UT of Daman & Diu, Secretary (Power), UT of Dadra & Nagar Haveli, Secretary (Power), UT of Lakshadweep, Secretary (Power), UT of Puducherry.

A still from Public Hearing at Daman on 9th January, 2015

5. ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION SHOWING INCOME AND EXPENDITURE

The Commission was allocated a budget of Rs. 542 lakhs in BE for the year 2014-15 as grant-in-aid, besides saving of Rs. 8.32 lakhs pertaining to the year 2013-14.

5.1 Statement of Income and Expenditure for the Year 2014-15:-

Sl. No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
	Balance in hand B/F	**8.32**	
A	Income:		
	By grants/Loans/Subsidies		
	From Govt. of India (Grant-in-aid)		
	Grant-in-aid received vide sanction no. & dated		
	I. 47/6/2010-R&R 21.04.2014	200.00	
	ii. 47/6/2010-R&R 18.09.2014	200.00	
	iii. 47/6/2010-R&R 28.01.2015	142.00	
	Total	542.00	
	Contribution/subscription received from FOR	-	
	By Royalty, Publications etc.	-	
	Interest on Saving Account	-	
B	**Expenditure:**		
1.	Salaries (Chairman & Member of the Commission)		22.59
2.	Salaries (Officers and Establishments)		68.09
3.	Payments for Professionals and Others Services.		
	(a) Professional		76.46
	(b) Other Services		47.02
	(i) Outsourcing of personnel 41.81		
	(ii) Outsourcing for Housekeeping job 3.32		
	(iii) Outsourcing for security personnel 1.89		
4.	Domestic Travel	-	27.28
5.	Foreign Travel	-	
6.	CPF *	-	1.22
7.	Electricity & Power	-	2.63

Sl. No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
8.	Rent Rate & Taxes	-	177.23
9.	Vehicles (Hiring of Vehicles)	-	13.37
10.	Postage, Telephones& Communication Charges.	-	3.77
11.	Printing and stationery	-	6.11
12.	Subscription to FOR/ FOIR etc.	-	7.96
13.	Seminar and Conferences	-	1.99
14.	Legal Fee	-	2.64
15.	Advertising & Publication	-	7.79
16.	Others : a) Office Expenses 24.92 b) Bank Charges 0.07 c) Miscellaneous 0.18	-	25.17
17.	Machinery & Equipment	-	4.10
18.	Furniture & Fixture	-	0.91
19.	Expenditure on Ombudsman	-	39.52
	TOTAL	-	**535.85**
	Balance in Bank	-	**14.47**
	Total	**550.32**	**550.32**

Note: The above figures are based on internal records of the Commission

*** Govt. contribution in respect of Chairman.**

5.2 ANNUAL LICENCE FEE RECEIVED FROM ED- GOA & UTs FOR FY 2014-15:-

Sl. No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (in rupees)
1.	01.04.2014	Electricity Department, Goa	50,00,000
2.	03.04.2014	Electricity Department, Chandigarh	27,83,000
3.	11.04.2014	Electricity Department, Puducherry	62,10,070
4.	26.08.2014	Electricity Department, Andaman & Nicobar Island	5,96,550
5.	04.09.2014	Electricity Department, Daman & Diu	49,87,000
6.	01.10.2014	Electricity Department, DNHPDCL	99,00,000
7.	01.10.2014	Electricity Department, DNHPDCL (Transmission Division)	22,49,500
8.	16.03.2015	Electricity Department, Lakshadweep	72,817
	Total		**3,17,98,937**

5.2 (1) ANNUAL LICENCE FEE RECEIVED FROM ED- GOA & UTs FOR FY 2015-16:-

Sl. No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (in rupees)
1.	03.03.2015	Electricity Department, Puducherry	60,87,670
2.	27.03.2015	Electricity Department, Goa	56,84,750
	Total		**1,17,72,420**

5.3 PETITION FEE RECEIVED DURING FY 2014-15:-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/ Department	State/UT/Other	Amount (in rupees)
1.	07.04.2014	M/s Prakash Industries Ltd.	Petition in the matter of illegal construction attempted on applicant land and Order dt. 27.03.2014	1000/-
2.	11.04.2014	M/s Green Energy Association, Mumbai	Suo-moto proceeding in the matter of compliance of JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010	1000/-
3.	28.04.2014	ED-Chandigarh	Petition for seeking extension of time for implementation of JERC directions Order dt. 11.02.2014	10,000/-
4.	27.05.2014	ED-Goa	Fee for filing review petition	75,000/-
5.	30.05.2014	CREST	Filing of review petition against the Order dt. 11.04.2014	10,000/-
6.	03.06.2014	ED-Chandigarh	Review petition in respect of Tariff Order FY 2014-15	70,610/-
7.	09.06.2014	M/s Chemfab Alkalis Ltd. and others	Review petition Order dt. 25.04.2014 of ED-Puducherry	25,000/-
8.	08.07.2014	ED-Puducherry	Petition for seeking approval of the Commission for exemption of claiming of FPPCA from the Domestic consumer category for Quarter 1st & 2nd of FY 13-14	10,000/-
9.	08.07.2014	ED-Puducherry	Petition for determination of temporary category of retail supply and recognition of various voltage levels of consumption for temporary category	10,000/-
10.	08.07.2014	ED-Puducherry	Petition for clarifications in certain provisions of JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 and first amendment, 2013	10,000/-
11.	08.07.2014	DNHPDCL	Petition for seeking approval of JERC in respect of RfP documents for procurement of Renewable Energy Power of 145 MUs on yearly basis	10,000/-
12.	19.08.2014	ED-Daman	Petition for seeking approval of JERC for determination of Additional Surcharge payable by Open Access consumers availing power under Open Access of JERC Regulation	10,000/-
13.	19.08.2014	ED-Daman	Petition for seeking approval of JERC in respect of RfP documents for procurement of Renewable Energy Power of 70 MUs on yearly basis	10,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/ Department	State/UT/Other	Amount (in rupees)
14.	19.08.2014	ED-Chandigarh	Application on behalf of objector for the review of orders dated 24.06.2014 passed by the JERC vide petition no. 129/2014	10,000/-
15.	12.09.2014	M/s Perfect Filaments Ltd.	Petition under Section 62(6) of the Electricity Act, 2003 for recovery of excess amount of Rs. 4,82,213/- in flagrant disregard to Electricity Act, 2003	1,000/-
16.	26.09.2014	ED-Puducherry	Fee for seeking approval for the PPA to be entered into with NPCIL	10,000/-
17.	01.10.2014	ED-Daman	Filing of Business Plan for MYT period FY 2015-18	1,00,000/-
18.	01.10.2014	ED-Puducherry	Fee for MYT Business plan for the period from 2015-16 to 2017-18	1,00,000/-
19.	20.10.2014	ED-Chandigarh	Application for seeking approval of the draft PPA proposed to be entered into by ED-Chd. with M/s SJVNL for supply of power from Rampur Hydro Electric Project, H.P.	1,00,000/-
20.	20.10.2014	Puducherry Power Corporation Limited	Submission of additional submission and clarification in connection with T.O. dated 25.04.2014 for determination of tariff for 2014-15, true-up for FY 11-12, 12-13 & review of FY 13-14 for PPCL Gas Power Station	1,00,000/-
21.	10.11.2014	ED-Chandigarh	Petition for extension of time for compliance of JERC directives no. 1 & 2 under clause 82 of JERC (COB) Regulations, 2009	10,000/-
22.	12.11.2014	ED-Chandigarh	Fee for review petition in respect of Order dt. 24.06.2014 passed by JERC in petition no. 129/2014	10,000/-
23.	17.11.2014	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for submission of Business Plan for 3 years MYT control period from FY 2015-16 to 2017-2018	1,00,000/-
24.	20.11.2014	ED-Chandigarh	Petition fee for extension of time for filing of petition for Business Plan and MYT control period FY 2015-16 to 17-18	10,000/-
25.	03.12.2014	DNHPDCL	Petition for approval of Business Plan for MYT control period for FY 2015-18 for DNHPDCL	1,00,000/-
26.	03.12.2014	DNHPDCL	Fee for condonation of Delay	10,000/-
27.	03.12.2014	DNHPDCL	Petition for approval of ARR for the MYT control pd. FY 2015-16 to 17-18 and tariff proposal for FY 2015-16 for distribution	8,25,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/ Department	State/UT/Other	Amount (in rupees)
28.	03.12.2014	ED-Daman	Petition for approval of ARR and MYT determination for control pd for FY 2015-16 to FY 2017-18 for UT of D&D	6,50,000/-
29.	03.12.2014	ED-DNH	Petition for approval of ARR and tariff proposal for FY 2015-16 for transmission division	15,00,000/-
30.	03.12.2014	ED-Puducherry	Furnishing of revised fee seeking approval for the PPA to be entered into with NPCIL	6,60,000/-
31.	15.12.2014	ED-Andaman & Nicobar Islands	Submission of extension of time for MYT Business Plan 2015-16 to 2017-18 of ED-A&N	10,000/-
32.	15.12.2014	ED-Andaman & Nicobar Islands	Submission of MYT petition for 3 years control period from FY 2015-16 to FY 2017-18.	5,34,500/-
33.	16.12.2014	ED-Goa	Submission of fee for extension of time for MYT Business Plan 2015-16 to 2017-18 of ED-Goa	10,000/-
34.	16.12.2014	Puducherry Power Corporation Limited	Application for condonation of delay in filing of tariff petition for PPCL Gas Power Station for FY 2015-16	10,000/-
35.	02.01.2015	ED-Puducherry	Fee for filing of MYT petition for control period from FY 2015-16 to FY 2017-18	7,50,000/-
36.	06.01.2015	Puducherry Power Corporation Limited	Fee for filing of tariff petition for PPCL Gas Power Station for 01.04.15 to 31.03.16	10,00,000/-
37.	22.01.2015	ED-Chandigarh	Fee for filing another extension of time for filing of Business Plan and MYT petition for control period FY 15-16 to FY 17-18	10,000/-
38.	24.01.2015	ED-Chandigarh	Petition for approval of Business Plan for the control period FY 15-16 to 17-18 of Electricity wing of engineering department of Chandigarh	1,00,000/-
39.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for condonation of delay for filing of Business Plan upto 20.12.14	10,000/-
40.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for filing of MYT petition for control period from FY 2015-16 to FY 2017-18	7,70,000/-
41.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for extension of time for filing of MYT petition upto 20.12.14	10,000/-
42.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for extension of time for filing of MYT petition upto 15.01.15	10,000/-
43.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for extension of time for filing of Business Plan upto 15.01.15	10,000/-
44.	24.01.2015	ED-Goa	Fee for filing of Business Plan for FY 15-16 to FY 17-18	1,00,000/-

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/ Department	State/UT/Other	Amount (in rupees)
45.	10.02.2015	ED-Lakshadweep	Fee for filing of MYT petition for control period from FY 2015-16 to FY 2017-18	5,04,000/-
46.	10.02.2015	ED-Lakshadweep	Fee for filing of Business Plan for FY 15-16 to FY 17-18	1,00,000/-
47.	27.02.2015	ED-Goa	Fee for review of FPPCA formula	10,000/-
48.	30.03.2015	ED-Chandigarh	Fee for extension of time for filing MYT petition	10,000/-
49.	18.03.2015	ED-Chandigarh	Fee for filing of MYT petition for control period FY 2015-16 to FY 2017-18	7,25,500/-
			Total	**92,32,610**

Other Fee

Sr. No.	Date of Receipt	Petitioner/ Department	Particulars	(Amount in Rupees)
1.	29.05.2014	M/s Shailesh Singh Advocates	Fee for certified copy of Order dt. 19.05.2014	40/-
2.	17.06.2014	M/s Ritesh Kumar Chowdhary, Advocates	Certified copy of Tariff Order dt. 05.05.14 of DNHPDCL	800/-
3.	17.09.2014	M/s Elegant Casting Pvt. Ltd, Silvassa	Fee for Grant of Certified copy of Order dt. 05.05.2014	800/-
			Total	**1640/-**

6. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE Right To Information ACT, 2005

Director (F&L) has been designated as Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the year are as under:-

Applications Received	20
Applications disposed off	20
Applications wherein information denied	Nil

7. WORK PLAN FOR THE YEAR AHEAD

7.1 Issuance of Business Plan for Control period of three financial years i.e FY 2016-17 to FY 2018-19

Orders for approval of Business Plan Petitions for the Control period FY 2016-17 to FY 2018-19 are proposed to be processed and issued by Mid October, 2015.

7.2 Issuance of Multi Year Tariff Orders for the control period FY 2016-17 to FY 2018-19.

The Multi Year Tariff orders for the control period from FY 2016-17 to FY 2018-19 are proposed to be issued for the seven distribution licensees.

7.3 Issuance of Generation & Transmission Tariff Orders

Work for issuance of Generation Tariff Order for PPCL & Transmission Tariff Order for ED-DNH are proposed to be completed by the end of FY 2015-16.

7.4 State Advisory Committee –

Regular meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of Regulation JERC 07/2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in FY 2015-16.

7.5 Framing of Solar Power Tariff- Ground Mounted Grid Connected and Solar Roof Top with Net Metering Regulations

JERC- Solar Power Tariff- Ground Mounted Grid Connected and Solar Roof Top with Net Metering Regulations, 2015 have been approved by the Commission and will come into force after Gazette notification from Govt. of India. These Regulations will be notified in the first quarter of FY 2015-16.

7.6 Amendment in Regulations

Review of existing Regulations is in progress and the target date for issue of amendments has been fixed as 30th November, 2015.

JOINT ELECTRICITY REGULA
(for the State of Goa & U
MEETING
THE STATE ADVISOR
11th September 2014
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा
14-30 सितम्बर

ATORY COMMISS
Union Territories
OF
Y COMMITTEE
New Delhi
11 09 2014
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COM
(for the State of Goa & Union Territ
MEETING OF
THE STATE ADVISORY COMMIT
September 2014 | New Delhi
11 09 2014
विनियामक आयोग
हिन्दी
14-30
26 09 2

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(for the State of Goa and Union Territories)

'वाणिज्य निकुंज', दूसरी मंजिल, उद्योग विहार
फेज–5, गुड़गाँव – (122016) हरियाणा
फोन: +91(124) 2875302, फैक्स: +91(124) 2342853
ई–मेल: *secretaryjerc@gmail.com*
वेबसाइट: *www.jercuts.gov.in*

'Vanijya Nikunj', 2nd Floor, HSIIDC Complex,
Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 (Haryana)
Telephone: +91 (124) 2875302, Fax: +91(124) 2342853
E-mail: secretaryjerc@gmail.com
Web:www.jercuts.gov.in

Designed & Printed by Alaknanda Advertising Pvt. Ltd.